न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2012/00266 (52/2012) 223 आरटीए

विनोद कुमार पुत्र महादेव प्रसाद जाति अग्रवाल सा0 वार्ड नं0 2 केसरीसिंहपुर तह0 करणपुर जिला श्रीगंगानगर। –अपीलाण्ट

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र दोनासिंह जाति रायसिख सा0 3 आरके राठीखेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।
2. चिमनलाल पुत्र मूलचन्द जाति सिन्धी सा0 राठीखेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2011 उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0 सं0 163/2010 शीर्षक लक्ष्मण सिंह बनाम चिमनलाल

उपस्थितः–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री बलराम नेहरा, श्री शंकर सोनी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांकः– 23.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व परिपत्र 06.10.2009 में प्रस्तुत किया। वाद पत्र में प्रतिवादी सं0 1 के नाम चक 3 आर.के. के जमाबंदी संवत 2066 ता 2069 में खाता संख्या 80/82 के प. नं. 214/277 किला नं. 3/0.013, 6/1 की 0.051, 7/1 की 0.013, 8/2 की 0.051, प0 नं0 215/277 किला नं. 10/0.013, 11/1 की 0.051, 13/1 की 0.013, प0 नं0 217/278 किला नं. 1/0.164, 7/1 की 0.025, कुल 0.419 है0 भूमि अलॉटी राष्ट्रपति भारत सरकार की दर्ज होने का कथन करते हुए उक्त भूमि में से प. नं. 215/277 की किला नं. 12/1 की 0.025 भूमि वादीगण का 20–22 वर्ष कब्जा काश्त में है, प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी का कोई अता पता नहीं है। भूमि पर वादी का प्रतिकूल कब्जा पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है। वादीगण ने प्रतिकूल कब्जा के आधार खातेदार अधिकार देने एवं राजस्व रिकार्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। वादी का वाद एकपक्षीय डिक्री किया जिससे व्यथित होकर उपरोक्त अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि चक 3 आर के प. नं. 215/278 के किला नं. 12/1 की 0.025 है0 भूमि अन्य भूमि के साथ आवंटि से जरिये इकरारनामा दिनांक 11.07.1995 से खरीद की हुई है खरीद के रोज से अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है एवं इकरारनामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि का परिपत्र दिनांक 06.10.2009 व उसके बाद जारी परिपत्र के अनुसरण में नियमन हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था परन्तु अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र पर कोई नियमन बाबत आदेश पारित किये बिना रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत वाद जो रेस्पो0 सं0 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था में अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये रेस्पोडेण्ट सं0 1 को खातेदार घोषित कर दिया है जबकि यह भूमि अपीलाण्ट ने इकरानामा के जरिये खरीद की हुई है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 को अपीलाण्ट ने हिस्सा पर प्रश्नगत भूमि दी हुई थी रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए गुपचुप तरीके से अपीलाधीन निर्णय से प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये इसलिए अपीलाण्ट निर्णय से पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार है।

4. अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। प्रतिकूल धारण के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इसलिए परिपत्र दिनांक 06.10.2009 व 08.11.2011 के अनुसरण में जो कब्जा नियमन करवाकर खातेदारी अधिकार दिये हैं वे कतई विधिविरूद्ध है। परिपत्र में कब्जा के आधार पर नियमन सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है। बल्कि "मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौके पर मूल आवंटि के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज हैं" तो ही इस प्रकार के हस्तान्तरण को नियमितकरण का प्रावधान है तथा इसके पश्चात् जारी परिपत्र में मात्र बाजार मूल्य सम्बन्धित संशोधन आदेश है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायला ने इस और बिना गौर किये विधिक प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत नियमन हेतु आवेदन पत्र को रेस्पोडेण्ट सं0 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ समेंकित करते हुए एक साथ निस्तारण करना

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चाहिए था। अपीलाण्ट सद्भावित काबिज खरीददार था इसलिए वह परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के अनुसरण में आवंटन की पात्रता रखता था परन्तु अपीलाण्ट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वाद में स्टेट को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह आवश्यक पक्षकार था।

5. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष दिनांक 02.08.2011 को सनद जारी करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु अपीलाण्ट को यह कहा गया कि कमेटी में प्रकरण रखने से पूर्व आपको जरिये नोटिस बुला लिया जायेगा परन्तु काफी समय व्यतीत होने के बाद भी अपीलाण्ट का नोटिस प्राप्त नही हुआ तब दिनांक 15.03.2012 को उपखण्ड अधिकारी टिब्बी में पता करने गया तो सिगेदार ने रकबे का चक पूछते हुए यह जानकारी दी की इस भूमि का नियमन तहसील कार्य से पता करें। तहसील कार्यालय से पता करने पर मालूम होने पर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है एवं उसका धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि 20–22 सालों से कब्जा काश्त में है जिस पर रेस्पोडेण्ट काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी का कोई अता पता नहीं है ना ही प्रतिवादी ने कभी भी वादी के कब्जा काश्त में कभी दखल दिया। रेस्पोडेण्ट का प्रतिकूल कब्जा पूर्ण परिपक्व हो चुका है। वादी का प्रतिकूल कब्जा परिपक्व होने के कारण वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। अपीलाण्ट का बेयनामा फर्जी एवं कूट रचित है। मिथ्या आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है। मूल आवंटि ने कभी भी बैयनामा या इकरारनामा नही करवाया है। आवंटी ने अपीलाधीन निर्णय की अपील भी प्रस्तुत नही की है। अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं है इसलिए वह एक प्रभावित पक्षकार नहीं है उसका धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलाण्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि इकरारनामा/बैयनामा के खरीदशुदा होने के कारण अपीलाण्ट एक आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है और पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसलिए अपीलाण्ट्स एक पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार हैं। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए इन्हें अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नही होना स्वाभाविक है, लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।
10. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना– पत्र. कस्टोडियन रकबे की सनद जारी करने बाबत'' की प्रमाणित प्रति होने के कारण एवं अपील के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं दस्तावेज अभिलेख पर लिया जाता है।
11. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने वाद पत्र में प्रतिवादी सं0 1 के नाम चक 3 आर.के. के खाता संख्या 80/82 की कुल 0.419 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज है, जिसमें से प. नं. 215/277 किला नं. 12/1 की 0.025 है0 पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार देने एवं राजस्व रिकार्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। वादी का वाद एकपक्षीय डिक्री किया जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीलाण्ट्स ने दो अलग अलग अपीलें की हैं।
12. अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत रकबा खरीदशुदा है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में उसका प्रार्थना–पत्र विचाराधीन था। जिसकी प्रमाणित प्रति अपील में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में पूर्व में ही एक वाद चल रहा था इस बीच रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह अपीलाधीन नया वाद प्रस्तुत कर एकपक्षीय प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद के लम्बित रहते हुए रेस्पोडेण्ट ने तथ्यों को छुपा कर एकपक्षीय प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इस प्रकरण में निर्णय व डिक्री प्राप्त किये हैं। जिसमें अपीलाण्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाण्ट् को पक्षकार बनाया जाता तो वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत सकता मगर वह पक्षकार नही होने के कारण उसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
13. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2011 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

14. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 18:53:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: